स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 91 , दिनांक 22–03–2025

जनपद मऊ से रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी सत्येन्द्र खरवार उर्फ लखन्दर नासिक (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार।

दिनाक 22–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना कोपागंज जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2024 धारा 147/148/307/323/504/506 आई0पी0सी0 व 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी सत्येन्द्र खरवार को नासिक (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

सत्येन्द्र खरवार उर्फ लखन्दर पुत्र महेन्द्र खरवार निवासी इटौरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ हाल पता अलीनगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

एम0आई0 डी0सी0 अम्बर नासिक (महाराष्ट्र)। दिनांक 22.03.2025

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 वाराणसी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मु0अ0सं0 166/2024 धारा 147/148/307/323/504/506 आई0पी0सी0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ में वांछित व 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी सत्येन्द्र खरवार उर्फ लखन्दर उपरोक्त के जनपद नासिक (महाराष्ट्र) में लुकछिप कर रहने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर उ0नि0 श्री अंगद सिंह यादव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम को नासिक (महाराष्ट्र) भेजा गया। वहॉ पर धरातलीय अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सत्येन्द्र खरवार उर्फ लखन्दर एम0आई0 डी0सी0 अम्बर नासिक के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा विश्वस्त सूत्रों द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर सत्येन्द्र खरवार उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ से पाया गया कि सत्येन्द्र खरवार उर्फ लखन्दर काफी मनबढ किस्म का अपराधी है। इसके विरूद्ध मारपीट व चोरी के लगभग 13 मुकदमें विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। दिनांक 22–06–2024 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत अदरी बाजार में इसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर संजीत पुत्र अशोक निवासी चकराम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को दिनदहाड़े जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर

फरार हो गया था, जिसके संबंध में इसके विरूद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ था और यह तभी से फरार चल रहा था, जिसके विरूद्ध 50,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित हुआ था।

अभियुक्त सत्येन्द्र खरवार का अपराधिक इतिहास निम्नवत है:-

1- मु0अ0सं0 24/23 धारा 380, 411 भादवि थाना सरायलंखसी, मऊ।
2- मु0अ0सं0 517/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना सरायलखंसी, मऊ।
3- मु0अ0सं0 36/24 धारा 323, 504, 34 भादवि थाना हलधरपुर, मऊ।
4- मु0अ0सं0 32/24 धारा 323, 504, 506, 34 भादवि थाना कोपागंज, मऊ।
5- मु0अ0सं0 166/24 धारा 307, 147, 148, 323, 504, 506 भादवि, कोपागंज, मऊ।
6- मु0अ0सं0 88/204 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि को0नगर मऊ।
7- मु0अ0सं0 108/24 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि को0नगर मऊ।
8- मु0अ0सं0 109/24 धारा 323, 504, 506 भादवि कोतवाली नगर मऊ।
9- मु0अ0सं0 30/24 धारा 329, 411, 413, 414, 420, 467, 471 भादवि हलधरपुर, मऊ।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त सत्येन्द्र खरवार उर्फ लखन्दर को स्थानीय थाना अम्बर जनपद नासिक (महाराष्ट्र) में प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।